

तारीख हुकूम

05/04/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्रावली अन्य कार्य में वास्ता।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-09/04/19 को पेश हो

09/04/19


पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्रावली अन्य कार्य में वास्ता।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-16/04/19 को पेश हो

16/04/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को पत्रावली अन्य कार्य में वास्ता।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-26/04/19 को पेश हो

26/04/19

बकुलाम उम्रपत्र उप.। उतिवादी सं. 2 के
के लागू पूर्व में सम्मिलन रूप से होकर लोटी
है। बावजूद सम्मिलन लागू उक्त उतिवादी
की ओर से कोई दायित्व अदाकर नहीं
है। अतः उतिवादी सं. 2 के विपरीत
एक पक्षीय कार्यवाही समल में लाई जाती
है। बकुलाम उम्रपत्र की उल्लेख में बहस
सुनी गई।




पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकोर्ड, पैराशुदा दलवाली जवाब, शपथ
पत्रों का अकलौकल किया गया। चूंकि
वादपत्र की मद सं. 2 के अनुसार ख. नं.
358 व 360 के लोका 0.10 है। पर उतिवादी
सं. 1 व अन्य की कमी की कक्षाकारण नहीं
है। अतः बहस राजपैरोका में की
मौके पर सुन से ही विद्यालय होने की पूर्ण

की है। वकील उतिवादी ने श्री अपने हकबाली
जवाब में वादपत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति
जताई है। दोनों बहस यह तथ्य सापने
आघा कि विवाहित भूमि का बिना खपातलण
कावाये नियालय उपयोग हेतु ली जा
रही है जो कि धारा 177 RAS का उल्लंघन
है। अतः आदेश इस भाशण का जारी
किया जाता है कि:-

निर्णय

तत ग्राम सेवाकीवाणी प.ह. नर्मडा तहसीला
खण्डेला अवस्थित भूमि ख. नं. 358 व 360
एकबा 0.10 हे. जो सिवायचक दर्ज काले के
आदेश दिखे जाते हैं। उक्तानुसार तहसीला
खण्डेला राजस्व रेकॉर्ड में अमल दतापद
के। तदनुसार पचा डिक्री मूर्तीव हे। -
पत्रवली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम
हे तथा बाद तकमील दखिल दफ्तर हे।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजीव सिंह) RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

डिक्री मुकद्दमा इव्लदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अजिमा

अज अदालत
ब इजलास

स्वामिक कलक्टर
श्री राजीत सिंह, RAS

1) धर्मोपनिषद्

दावा बावत रस्तकाल हक व इव्लदी रिकार्ड

17 श्री राजीत सिंह, RAS

2) एमेश्वर उर्फ रामनाथगंगा

मुकाम

खडैला

गहे मुकद्दमा आज वारत इनाफिसाल कतई रूबरू गिनजानिव मुद्दई रूबरू

हाजिरी

श्री हरिकृष्ण सिंह चार

गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तम गाम सेवकीवानी

प.ह. नं. 358 व 360 का

का

हैं। उन्हालहा तहनीलहा

0.10 हे. को

श्री सुनित कुमार फौजदार

का

के आदेश सिधे जाते हैं।

उन्हालहा

तहनीलहा

को

श्रीवायचक दर्ज

रिज

मुबलिंग

बावत

फीसदी

आज की तारीख से

26 माह 09 सन 2019 को

शर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद नशरह

का अदा करे।


26

माह

09

सन 2019 को

जारी की गई।



(श्री राजीत सिंह) RAS
सहायक फौजदार
(सिस्ट्र ट्रेक) खडैला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह (सिस्ट्र ट्रेक) खडैला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					

मीजान

मीजान

* पुत्र मालाराम जाति मीणा हाल उद्यानधारापलक रा. आ. उ.
 आ. वि. सेवाकीटाणी पं. स. खण्डेरा जिला सीकर राज. एवं
 सखि विद्यालय उबन्धन समिति सेवाकीटाणी पं. स. खण्डेरा
 जिला सीकर राज.

- ① उमिला स्त्री कजरोलाल जाति ब्राह्मण
- ② गीतराज पुत्र मैकाराम जाति जाट
- ④ टालालसिंह पुत्र मालीधर जाति जाट
- ⑤ रविप्रकाश वर्मा पुत्र मालाराम जाति बलह
- निवासी सेवाकीटाणी ग्राम पं. नीमैडा तहसील खण्डेरा
 जिला सीकर राज. सदरमण्डला उबन्धन समिति रा.
 आ. उ. अ. वि. सेवाकीटाणी तहसील खण्डेरा जिला सीकर राज.
 - वादीगण



- कनाम
- * पुत्र युन्कीलाल उर्फ सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी सेवाकी
 टाणी तहसील खण्डेरा जिला सीकर राज.।
 - ② सुप्रियाती तहसीलका खण्डेरा जिला सीकर राज.।
 - ③ तहसीलका लखत तहसील खण्डेरा जिला सीकर राज.।
 - प्रतिवादीगण

(Signature)
 (श्री लज्जत सिंह)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेरा